डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/4-357/2024-26

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 1 मार्च, 2024, डिस्पेच दिनांक 1 मार्च, 2024

| वर्ष 67 | अंक 19 | भोपाल | 1 मार्च, 2024 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में सहकारी क्षेत्र के लिए कई प्रमुख पहलों का उद्घाटन और शिलान्यास किया

प्रधानमंत्री ने 11 राज्यों की 11 PACS में 'सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना' की पायलट परियोजना का उद्घाटन किया

देश भर में 500 अतिरिक्त PACS में गोदामों और कृषि से जुड़ी अन्य बुनियादी सुविधाओं के निर्माण की आधारशिला रखी और 18,000 PACS में कम्प्यूटरीकरण की परियोजना का भी उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सहकारी क्षेत्र में नए प्राण डालने की शुरुआत की है : श्री अमित शाह

अगस्त 2024 तक देश के सभी PACS कंप्यूटराइज हो जाएंगे

PACS का कंप्यूटराइजेशन न केवल पारदर्शिता लायेगा बल्कि इन्हें आधुनिक बनाने के साथ बिजनेस के नए मौके भी पैदा करेगा

सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद अब तक 54 से ज्यादा इनीशिएटिव लिए गए

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने PACS को मजबूत करने में 2500 करोड रुपए खर्च किए हैं

नई दिल्ली। देश के सहकारी क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में सहकारी क्षेत्र के लिए कई प्रमुख पहलों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने 11 राज्यों की 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) में 'सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना' की पायलट परियोजना का उद्घाटन किया। साथ हीप्रधानमंत्री नेदेश भर में 500 अतिरिक्त PACS में गोदामों और कृषि से जुड़ी अन्य बुनियादी सुविधाओं के निर्माण की आधारशिला रखी और 18,000 PACS में कम्प्यूटरीकरण की परियोजना का भी उद्घाटन किया।

इस अवसर पर केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह, केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री अर्जुन मुंडा, केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल, सहकारिता राज्य मंत्री श्री बी एल वर्मा सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सहकारी क्षेत्र में नए प्राण डालने की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के समय से ही देश भर के सहकारिता क्षेत्र के कार्यकर्ता सहकारिता के लिए एक अलग मंत्रालय की स्थापना की माँग करते रहे, परंतु वर्षों तक किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जब श्री नरेन्द्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 70 साल पुरानी मांग को स्वीकार कर एक अलग सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र को भी समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है और इसके लिए सहकारिता क्षेत्र को प्रासंगिक भी बनाए रखना होगा, इसे आधुनिक भी बनाना होगा और इसमें पारदर्शिता भी लानी होगी।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सहकारी क्षेत्र में दी विभिन्न सौगात

मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल

प्रधानमंत्री श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सशक्त सहकारिता से आयेगी समृद्धि- मंत्री श्री सारंग

भोपाल : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में सहकारी क्षेत्र के लिए कई प्रमुख पहलों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की विशिष्ट उपस्थिति रही। कार्यक्रम में सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने 'सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना' के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, जो 11 राज्यों की 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इस पहल के तहत गोदामों और अन्य कृषि बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए देश भर में अतिरिक्त 500 पैक्स की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने सरकार के "सहकार से समृद्धि" के दृष्टिकोण के अनुरूप देश भर में 18 हजार पैक्स में कम्प्यूटरीकरण के लिए एक परियोजना का भी उद्घाटन किया।

सहकारिता सिर्फ एक व्यवस्था नहीं बल्कि एक भावना- प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि सहकार से समृद्धि की दिशा में देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। खेती और किसान की नींव को मजबूत करने में सहकारिता की शक्ति ने अहम भूमिका निभाई है। इसी विचार के साथ पृथक से सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि सहकारिता सिर्फ एक व्यवस्था नहीं बल्कि एक भावना है। इसकी यही भावना कई बार व्यवसायों और संसाधनों की सीमाओं से परे आश्चर्यचकित कर देने वाले परिणाम देती है।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

गेहूँ खरीदी में किसानों के लिए बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करें-मुख्यमंत्री

प्रदेश के लगभग 11 लाख किसानों से 100 लाख मेट्रिक टन गेहूं खरीदा जाना है

मुख्यमंत्री डॉ. यादव से भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों ने भेंट की

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आगामी माहों में प्रदेश में लगभग 100 लाख मेट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया जाना है, जिससे लगभग 11 लाख किसान लाभान्वित होंगे। इसके लिये भारतीय खाद्य निगम, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम तथा मार्कफेड से समन्वय कर उपार्जन की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भारतीय खाद्य निगम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर (वैस्ट जोन) श्री दलजीत सिंह तथा महाप्रबंधक श्री विशेष गढ़पाले से समत्व भवन में सौजन्य भेंट के दौरान यह बात कही।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि खरीदी केन्द्रों पर गेहूं की गुणवत्ता की पुष्टि के लिए विशेषज्ञ, नमी मापक यंत्र, बारदाना सहित अन्य आवश्यक उपकरण की उपलब्धता और किसानों के लिए सुविधाजनक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। भारतीय खाद्य निगम द्वारा मध्यप्रदेश से अतिशेष गेहूं का परिदान लेकर कमी वाले राज्यों को भेजने की प्रक्रिया को सुगम बनाने पर भी विचार-विमर्श हुआ।

लघु वनोपजों के निर्यात के लिये आदिवासी बहुल जिलों को जल्दी मिलेगा जैविक प्रमाण-पत्र

वन मंत्री श्री नागर सिंह चौहान ने औपाचारिकताएं पूरी करने के दिये निर्देश

भोपाल : लघु वनोपजों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये आदिवासी बहुल जिलों को जल्द ही जैविक प्रमाण-पत्र मिलेगा। वन मंत्री श्री नागरसिंह चौहान ने इसके लिये सभी औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि तेन्दूपत्ता संग्राहकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिये उन्हें संबल योजना में शामिल किया गया है। तेंदूपत्ता संग्रहण से जुड़े जनजातीय परिवारों की आर्थिक सुरक्षा के लिये तेंदूपत्ता संग्रहण दर 3000 रूपये प्रति मानक बोरा से बढ़ा कर 4000 रूपये प्रति मानक बोरा कर दी गई है। वर्ष 2003 में संग्रहण दर 400 रूपये प्रति मानक बोरा थी। इस निर्णय के परिणामस्वरूप संग्राहकों को लगभग 560 करोड़ रूपये का संग्रहण पारिश्रमिक के रूप में वितरित किया गया है।

संग्रहण पारिश्रमिक के साथ-साथ तेन्दूपत्ता के व्यापार से प्राप्त शुद्ध लाभ भी संग्राहकों के साथ बांटा जाता है। यह लाभांश भी बढ़ाया जा रहा है। वर्ष 2003 में जहाँ शुद्ध लाभ का 50 प्रतिशत अंश संग्राहकों को बोनस के रूप में वितरित किया जाता था, अब 75 प्रतिशत भाग बोनस के रूप में संग्राहकों को वितरित किया जा रहा है। वर्ष 2002-03 में वितरित बोनस की राशि 5.51 करोड़ रूपये थी जबकि वर्ष 2022-23 में वितरित बोनस की राशि 234 करोड़ रूपये है। वर्तमान में लगभग 15 लाख परिवारों के 38 लाख सदस्य लघु वनोपज संग्रहण कार्य से जुड़े हैं। इनमें 50 प्रतिशत से ज्यादा जनजातीय समुदाय के हैं। उनहें बिचौलियों के शोषण से बचाने और उनकी संग्रहित लघु वनोपज का लाभ दिलाने के लिए सहकारिता का त्रिस्तरीय

ढांचा बनाया गया है। इसमें प्राथमिक स्तर पर 15.2 लाख संग्रहणकर्ताओं की सदस्यता से बनायी गयी 10 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां है। द्वितीय स्तर पर 51 जिलों में जिला स्तरीय यूनियन तथा शीर्ष स्तर पर म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ कार्यरत है।

कोरोना काल में भी तेन्दूपत्ता संग्राहकों को परिश्रमिक 397 करोड़ रूपये एवं 415 करोड़ रूपये भुगतान किया गया। पिछले 10 सालों के 2000 करोड़ रुपये संग्राहकों को (बोनस) प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में दिये जा चुके हैं। तेन्दूपत्ता श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिये 2011 में "एकलव्य वनवासी शिक्षा विकास योजना" प्रारंभ की गयी। मेधावी बच्चों को सहायता राशि दी जाती है। अभी तक 15,026 छात्रों को 14 करोड़ रूपये से अधिक की सहायता राशि दी जा चुकी है।

वर्ष 2004-05 में लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र बरखेड़ा पठानी की स्थापना की गई थी। इसे लघु वनोपज आधारित 840 औषधियां बनाने का लाईसेंस मिला है और 350 औषधियों का निर्माण किया जा रहा है।

लघु वनोपज संग्राहकों को वनोपज का उचित मूल्य दिलाने हेतु राज्य शासन द्वारा 32 प्रमुख लघु वनोपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी घोषित किया गया है ताकि यदि बाजार में उचित मूल्य न हो तो संग्राहक को वनोपज का उचित मूल्य मिल सके। लघु वनोपज संग्राहकों की आय बढ़ाने के लिये प्रसंस्करण पर भी ध्यान दिया जा रहा है तथा प्रदेश में प्रधानमंत्री वन विकास योजना के तहत 126 वनधन केन्द्रों की स्थापना की स्वीकृति दी जा चुकी है। इनमें से लगभग 70 वन धन केन्द्रों द्वारा प्रसंस्करण उत्पाद निर्माण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। पेसा कानून में 20 जिलों की 268 ग्राम सभाओं में वर्ष 2022-23 से पेसा नियमों के तहत संग्रहण के संकल्प प्राप्त हुए तथा संग्रहण वर्ष 2023-24 में 13363 मानक बोरा तेंन्दूपत्ता संग्रहित किया जाकर 7.19 करोड़ रूपये का व्यापार किया गया। इस प्रकार प्रथम वर्ष के अनुभव से ग्राम सभाओं को लघु वनोपज व्यापार का अनुभव प्राप्त हुआ, तेंदुपत्ता संग्रहण एवं विपणन हेतु आत्मविश्वास मिला तथा इस वर्ष 229 ग्राम सभाओं द्वारा तेन्दूपत्ता संग्रहण का कार्य प्रारंभ हुआ।

तेंदूपत्ता संग्राहकों को पिछले 10 सालों में मिला 2000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन पारिश्रमिक

भोपाल : तेंदूपत्ता संग्राहक जनजातीय परिवारों को सामाजिक सुरक्षा चक्र मजबूत करते हुए उन्हें पिछले 10 सालों में 2000 करोड़ रुपये प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में दिये जा चुके हैं। तेन्दूपत्ता संग्राहकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिये उन्हें संबल योजना में शामिल किया गया है। राज्य सरकार ने लघु वनोपजों के संग्रहण से जुड़े परिवारों के हित में सकारात्मक कदम उठाते हुए निर्यात को बढ़ावा देने के लिये आदिवासी बहुल जिलों को जैविक प्रमाण-पत्र देने की तैयारियां चल रही है। तेंदूपत्ता संग्रहण से जुड़े जनजातीय परिवारों की आर्थिक सुरक्षा के लिये तेंदूपत्ता संग्रहण दर 3000 रूपये प्रति मानक बोरा से बढ़ा कर 4000 रूपये प्रति मानक बोरा कर दी गई है। वर्ष 2003 में संग्रहण दर 400 रूपये प्रति मानक बोरा थी। इस निर्णय के परिणामस्वरूप संग्राहकों को लगभग 560 करोड़ रूपये का संग्रहण पारिश्रमिक के रूप में वितरित किया गया है।

संग्रहण पारिश्रमिक के साथ-साथ तेन्दूपत्ता के व्यापार से प्राप्त शुद्ध लाभ भी संग्राहकों के साथ बांटा जाता है। यह लाभांश भी बढ़ाया जा रहा है। वर्ष 2003 में जहाँ शुद्ध लाभ का 50 प्रतिशत अंश संग्राहकों को बोनस के रूप में वितरित किया जाता था, अब 75 प्रतिशत भाग बोनस के रूप में संग्राहकों को वितरित किया जा रहा है। वर्ष 2002-03 में वितरित बोनस की राशि 5.51 करोड़ रूपये थी जबकि वर्ष 2022-23 में वितरित बोनस की राशि 234 करोड़ रूपये है। वर्तमान में लगभग 15 लाख परिवारों के 38 लाख सदस्य लघु वनोपज संग्रहण कार्य से जुड़े हैं। इनमें 50 प्रतिशत से ज्यादा जनजातीय समुदाय के हैं। उनहें बिचौलियों के शोषण से बचाने और उनकी संग्रहित लघु वनोपज का लाभ दिलाने के लिए सहकारिता का त्रिस्तरीय ढांचा बनाया गया है। इसमें प्राथमिक स्तर पर 15.2 लाख संग्रहणकर्ताओं की सदस्यता से बनायी गयी 10 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां है। द्वितीय स्तर पर 51 जिलों में जिला स्तरीय यूनियन तथा शीर्ष स्तर पर म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ कार्यरत है।

कोरोना काल में भी तेन्दूपत्ता संग्राहकों को परिश्रमिक 397 करोड़ रूपये एवं 415 करोड़ रूपये भुगतान किया गया। तेन्दूपत्ता श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिये 2011 में "एकलव्य वनवासी शिक्षा विकास योजना" प्रारंभ की गयी। मेधावी बच्चों को सहायता राशि दी जाती है। अभी तक 15,026 छात्रों को 14 करोड़ रूपये से अधिक की सहायता राशि दी जा चुकी है। वर्ष 2004-05 में लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र बरखेड़ा पठानी की स्थापना की गई थी। इसे लघु वनोपज आधारित 840 औषधियां बनाने का लाईसेंस मिला है और 350 औषधियों का निर्माण किया जा रहा है।

लघु वनोपज संग्राहकों को वनोपज का उचित मूल्य दिलाने हेतु राज्य शासन द्वारा 32 प्रमुख लघु वनोपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी घोषित किया गया है ताकि यदि बाजार में उचित मूल्य न हो तो संग्राहक को वनोपज का उचित मूल्य मिल सके।

लघु वनोपज संग्राहकों की आय बढ़ाने के लिये प्रसंस्करण पर भी ध्यान दिया जा रहा है तथा प्रदेश में प्रधानमंत्री वन विकास योजना के तहत 126 वनधन केन्द्रों की स्थापना की स्वीकृति दी जा चुकी है। इनमें से लगभग 70 वन धन केन्द्रों द्वारा प्रसंस्करण उत्पाद निर्माण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। पेसा कानून में 20 जिलों की 268 ग्राम सभाओं में वर्ष 2022-23 से पेसा नियमों के तहत संग्रहण के संकल्प प्राप्त हुए तथा संग्रहण वर्ष 2023-24 में 13363 मानक बोरा तेंन्दूपत्ता संग्रहित किया जाकर 7.19 करोड़ रूपये का व्यापार किया गया। इस प्रकार प्रथम वर्ष के अनुभव से ग्राम सभाओं को लघु वनोपज व्यापार का अनुभव प्राप्त हुआ, तेंदुपत्ता संग्रहण एवं विपणन हेतु आत्मविश्वास मिला तथा इस वर्ष 229 ग्राम सभाओं द्वारा तेन्दूपत्ता संग्रहण का कार्य प्रारंभ हुआ।

उचित मूल्य दुकानों द्वारा वितरित राशन सामग्री पर देय कमीशन का ऑनलाईन भुगतान शुरु

उज्जैन जिले से हुआ शुरूआत, बड़वानी, विदिशा एवं मुरैना जिलों में भी शुभारंभ

अगले माह से शेष जिलों शुरू होगी ऑनलाईन भुगतान व्यवस्था

एसीएस श्री स्मिता भारद्वाज ने की खाद्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा

भोपाल : प्रदेश में उचित मूल्य दुकानों को कमीशन का ऑनलाईन भुगतान व्यवस्था प्रारम्भ की गई है। उज्जैन जिले से इसकी शुरूआत हो गई है। साथ ही बड़वानी, विदिशा एवं मुरैना जिले में भी आज से ऑनलाईन भुगतान व्यवस्था शुरू हो गई है। अगले माह से शेष जिलों की उचित मूल्य दुकानों को भी ऑनलाईन कमीशन भुगतान की व्यवस्था की जायेगी।

अपर मुख्य सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्रीमती स्मिता भारद्वाज ने उज्जैन जिले की 790 उचित मूल्य दुकानों को राशन वितरण पर देय कमीशन का ऑनलाईन भुगतान व्यवस्था शुरू की।

प्रदेश में 27651 उचित मूल्य दुकानों से 5.30 करोड़ पात्र हितग्राहियों को प्रतिमाह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनांतर्गत (पीएमजीकेएवाय) नि:शुल्क खाद्यान्न एवं शक्कर, नमक के साथ अन्य योजनाएँ- मध्यान्ह भोजन, एकीकृत महिला बाल विकास योजना, कल्याणकारी संस्थाओं (केकेवाय) एवं छात्रावास में खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है।

पीएमजीकेएवाय एवं अन्य कल्याणकारी योजनांतर्गत माह की एक तारीख से माह अंत तक उचित मूल्य दुकान से वितरित राशन सामग्री का डाटा एनआईसी हैदराबाद द्वारा एपीआई के माध्यम से एनआईसी भोपाल को उपलब्ध करवाई गई है। योजनावार वितरित राशन सामग्री एवं निर्धारित दर अनुसार दुकानवार कमीशन की गणना एनआईसी भोपाल द्वारा की गई है।

उचित मूल्य दुकानों को कमीशन भुगतान केलिये एनआईसी भोपाल के माध्यम से नये साफ्टवेयर का निर्माण करवाया गया। उचित मूल्य दुकानों को ऑनलाईन कमीशन भुगतान के लिये संस्थाओं के बैंक खाते, आईएफएससी संकलन एवं संस्था का नाम, दुकान का नाम, प्रबंधक, विक्रेता आदि का भी सत्यापन जिला एवं राज्य स्तर पर करवाया गया है। इससे संस्थाओं के सही बैंक खाते में कमीशन का भुगतान निर्बाध रूप से हो सकेगा।

उचित मूल्य दुकानों को कमीशन भुगतान के लिये आगामी माह से समय-सीमा तय

उचित मूल्य दुकानों को ऑनलाईन कमीशन भुगतान से सुविधा होगी। राज्य, जिला एवं उचित मूल्य दुकान स्तर पर भुगतान की जाने वाली राशि प्रदर्शित होगी। सभी योजनांतर्गत वितरित खाद्यान्न एवं राशन सामग्री का कमीशन उचित मूल्य दुकानों को एकसाथ प्राप्त हो सकेगा। विक्रेताओं को कमीशन प्राप्त करने के लिए किसी कार्यालय एवं देयक प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं रहेगी एवं विधिवत् रिकार्ड संधारण किया जा सकेगा। प्रतिमाह कमीशन भुगतान की जिला एवं राज्य स्तर पर समीक्षा की जा सकेगी।

पूर्व व्यवस्था अनुसार मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा उचित मूल्य दुकानों को कमीशन भुगतान सीधे दुकान संचालन करने वाली संस्थाओं न दिया जाकर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के माध्यम से कमीशन भुगतान की व्यवस्था थी। इसमें कमीशन भुगतान में अधिक समय एवं श्रम भी लगता था।

अपर मुख्य सचिव श्रीमती स्मिता भारद्वाज द्वारा प्रवास के दौरान प्रायवेट इंटरप्रेनर्स गारंटी योजनांतर्गत संचालित गोदाम महादेव वेयरहाउस में मैकेनाईज ग्रेडिंग मशीन तथा स्टील सायलो का निरीक्षण किया गया। जिले के अधिकारियों के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं उपार्जन की तैयारी की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में कलेक्टर के अलावा खाद्य विभाग के जिला अधिकारी शामिल हुए।

तीन दिवसीय नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न

धार । भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ नई दिल्ली के राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा केंद्र एवं जिला सहकारी संघ धार के सहयोग से धार जिले की शहरी साख संस्थाओं के संचालक मंडल के सदस्यों का तीन दिवसीय नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया । कार्यक्रम में धार जिले की शहरी साख संस्थाओं के लगभग 45 संचालकों अध्यक्ष एवं संचालकों ने भाग लिया।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुश्री वर्षा श्रीवास उपायुक्त सहकारिता, जिला उपायुक्त सहकारी समितियां धार के मुख्य आतिथ्य में किया गया । कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की तस्वीर पर माल्यार्पण एवं पूजन कर किया गया । प्रारंभ में अतिथियों का स्वागत पुष्पों से किया तत्पश्चात जिला सहकारी संघ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री शुभेंद्र सिंह पवार द्वारा कार्यक्रम का परिचय दिया गया। उपायुक्त सहकारिता ने शहरी साख सहकारी संस्थाओं के संचालन में हो रही अनियमितताओं के संबंध में चर्चा की , इन्दौर सहकारी प्रशिक्षण केंद्र के पूर्व प्राचार्य श्री के, एल,राठौर द्वारा सहकारी आंदोलन का विश्व एवं भारत में वर्तमान परिदृश्य पर चर्चा की। सेंट्रल बैंक के सेवानिवृत् प्रबंधक श्री मुकदम साहब द्वारा साख सहकारी संस्थाओं के संचालन से संबंधित एवं पूंजी के रखरखाव से संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर (सेन्ट्रल रूल) 1956 के अंतर्गत मध्यप्रदेश सहकारी समाचार पाक्षिक के स्वामित्व तथा अन्य विवरण संबंधित जानकारी

घोषणा फार्म चार (नियम – 8)

1.	प्रकाशन स्थल	:	**मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित ई - 8 / 77 शाहपुरा, भोपाल**
2.	प्रकाशन अवधि	:	पाक्षिक
3.	मुद्रक का नाम	:	**गणेश प्रसाद मांझी** वास्ते - मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित ई - 8 / 77 शाहपुरा, भोपाल
4.	प्रकाशक का नाम	:	**गणेश प्रसाद मांझी** वास्ते - मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित ई - 8 / 77 शाहपुरा, भोपाल
5.	सम्पादक का नाम	:	**गणेश प्रसाद मांझी** वास्ते - मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित गणेश प्रसाद मांझी
6.	क्या भारतीय नागरिक हैं	:	**हाँ**
7.	उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हो तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के हिस्सेदार या साझेदार हो ।	:	यह समाचार पत्र मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल का हैं ।

मैं गणेश प्रसाद मांझी एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास से ऊपर दिये गये विवरण सत्य हैं।

दिनांक 1 मार्च 2024

सही / -
(गणेश प्रसाद मांझी)
प्रकाशक

दुग्ध सहकारी समितियों के पदाधिकारियों का नेतृत्व विकास पर सहकारी प्रशिक्षण का प्रभावी आयोजन

सिवनी । भारतीय राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा केन्द्र नई दिल्ली एवं म०प्र. राज्य सहकारी संघ मर्या. भोपाल सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर के संयुक्त तत्वावधान में तीन दिवसीय नेतृत्व विकास प्रशिक्षण दिनांक 14 फरवरी 2024 से दिनांक 16 फरवरी 2024 तक स्थान सुकतरा सिवनी मुख्य अतिथि श्रीमान पुष्पेन्द्र कुशवाह उपायुक्त सहकारी संस्थाएं, सिवनी, विशिष्ट अतिथि श्रीमान देवेन्द्र रहांगडाले पूर्व जनपद उपाध्यक्ष कुरई, श्रीमति पायल डहाटे जिला प्रबंधक क्षेत्रीय कार्यालय दुग्ध सहकारिता बंडोल, श्रीमान पी.के. सूर्यवंशी प्रबंधक जिला सहकारी संघ मर्या सिवनी, श्रीमान मनीष शेन्द्रे पशु चिकित्सक एवं दुग्ध सहकारी समितियों के पदाधिकारीगंण तथा सचिवों की उपस्थिति में कार्यकम सम्पन्न हुआ।

कार्यकम के संयोजक श्री व्ही.के.बर्वे सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर एवं मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथियों द्वारा मां सरस्वती जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण दीप प्रज्वलित किया। कार्यकम के प्रारम्भ में केन्द्र के प्राचार्य श्री व्ही. के.बर्वे प्रशिक्षण की उपयोगिता पर विस्तृत प्रकाश डाला एवं अतिथियों का पुष्प माला से स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि श्रीमान पुष्पेन्द्र कुशवाह उपायुक्त सहकारिता सहकारी संस्थाएं सिवनी ने अपने उद्बोधन में कहा कि दुग्ध सहकारी समितियों के पदाधिकारी/ सचिव अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करें सदस्यों से अपील की संस्था के दुग्ध उत्पादक अपनी समिति में ही दुग्ध देवें जिससे संस्था में दुग्ध कलेक्शन अधिक मात्रा में हो और संस्था की आर्थिक स्थिति में सुधार आये। आपने अमूल्य डेरी के इतिहास पर चर्चा करते हुए कहा कि श्वेत कांति के जनक व्ही. एन.कुरियन द्वारा दुग्ध के क्षेत्र में जो नई कांति को जन्म दिया है वह आज विश्व पटल पर अपना स्थान बना चुकी है। संस्थाओं को गुजरात दुग्ध संस्थाओं का अध्ययन कर अपनी कार्य पद्धति में सुधार करना चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान आपने कहा कि इस प्रकार के कार्यकम समस्त सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारियों एव कर्मचारियों के लिये निरंन्तर आयोजित किये जाने चाहिए जिससे कार्य में सुधार कर प्रगति की जा सके।

प्रशिक्षण में दुग्ध सहकारी समितियों के उद्देश्य एवं कार्य, पशुपालन प्रबंधन एवं टीकाकरण, सहकारी प्रबंध, संस्था में रखे जाने वाले रिकार्ड, लेखांकन पद्धति प्रकिया, कार्यकारिणी कमेटी का गठन, बैठकें, विषय, आमसभा की बैठकें, गठन अध्यक्ष की कार्यपद्धति, म०प्र. सहकारी सोसयटी अधिनियम 1960 के नवीन प्रावधान, नेतृत्व विकास / प्रबंधन, व्यवसाय की नवीन संभावनायें विषय पर श्री व्ही.के.बर्वे प्राचार्य सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर, श्रीमति पायल डहाटे, श्री डा.मनीष शेन्द्रे, श्री एस.के.चतुर्वेदी, श्रीमती सोनू तिवारी, श्री पी.के.सूर्यवंशी, श्री मनोहर बोपचे, श्री जय कुमार दुबे, श्री अयोध्या प्रसाद पटले, श्री अर्जुन बघेल, श्री सोहन लाल चन्द्रेल द्वारा विभिन्न विषयों पर अपना सारगर्भित उद्बोधन एवं महत्वपूर्ण जानकारियां दी। प्रशिक्षण के अंतिम दिवस प्रशिक्षार्थियों को दुग्ध संग्रहण केन्द्र का अध्ययन भ्रमण कराया गया एवं कार्यकम में उपस्थित प्रशिक्षाणार्थियों का आभार व्यक्त कर समापन किया। समस्त कार्यकम का संचालन श्री व्ही.के.बर्वे प्राचार्य सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर द्वारा किया गया।

संचालक मण्डल सदस्यों का एक दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न

जबलपुर। साख सहकारिता के विकास के लिये आवश्यक है कि इससे सम्बन्धित साख सहाकरी समितियों के सदस्यों और संचालकों को समुचित रूप से प्रशिक्षित किया जाये, "ये विचार माननीय विधायक श्री अभिलाष पाण्डे जी ने जिला सहकारी संघ के तत्वाधान में संचालन, प्रबंधन और लेखा संधारण पर आयोजित सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिनांक 22/02/2024 को मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किये '।

कार्यक्रम के प्रारंभ में संघ की प्रशासक सुश्री रीता यादव जी ने अतिथियों का स्वागत करते हुए स्वागत भाषण में प्रशिक्षण की महता एवं उपयोगिता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मध्यप्रदेश भा.जा.पा. सहकारिता प्रकोष्ठ के सहसंयोजक श्री आशोक सिंघई जी ने कहा - 'सामाजिक विकास के साथ-साथ सहकारी आन्दोलन के निरंतर विकास के लिए भी आज यह आवश्यक है कि महिलाओं व युवाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी को सुनिश्चित किया जाये एवं सहकारी संस्थाओं में महिलाओं व युवाओं के प्रतिनिधित्व और दायित्वों में अभिवृद्धि की जाये' । कार्यक्रम में विशेष अतिथि रहे जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जबलपुर के श्री सी.एस. पटले मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अखिल भारतीय प्रमुख, स्टडी ग्रुप, सहकार भारती, मुम्बई डॉ. यतीश जैन जी एवं जिला भा.जा.पा. सहकारिता प्रकोष्ठ जबलपुर श्री राजेन्द्र चौधरी जी ने भी अपना सारगर्भित उद्बोबोधन दिया ।

कार्यक्रम में विशेष रूप से व्याख्यान हेतु श्री व्ही. के. बर्वे जी प्राचार्य, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, कटंगा, जबलपुर, श्री पी. के. बैनर्जी पूर्व वरि. सहकारी निरीक्षक एवं श्री सुनील खरे पूर्व वरि. सहकारी निरीक्षक द्वारा संबंधित विषयों पर सारगर्भित व्याख्यान दिया जाकर प्रशिक्षण की उपयोगिता व महत्त्व पर प्रकाश डाला ।

कार्यक्रम का संचालन सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, जबलपुर के पूर्व प्राचार्य श्री यशोवर्धन पाठक जी द्वारा किया गया। सहकारिता विभाग से आये श्री राजेंद्र यादव सहकारिता विस्तार अधिकारी जबलपुर, जिल सह. केन्द्रीय बैंक की शाखा प्रबंधक श्रीमती उर्मिला धुर्वे श्री नरेंद्र सोनकर वरिष्ठ सहाकरी निरीक्षक, श्री संतोष राव, श्री राजेश परोहा जी वरिष्ठ सहाकरी निरीक्षक, श्री सुभाष पचौरी प्रबंध जिला सहकारी बैंक, श्री समर सिंह, श्री राजेंद्र चान्द्रायण, श्री जगदीश माली व सहकारी समितियों से आये संचालक सदस्यों की उपस्थिति विशेष रूप से उल्लेखनीय रहीं। कार्यक्रम का आयोजन जिला सहकारी संघ की प्रशासक एवं सहकारी निरीक्षक सुश्री रीता यादव जी द्वारा कुशलता पूर्वक किया गया। अंत में आभार प्रदर्शन जिला सहकारी संघ के प्रबंधक श्री राकेश बाजपेई द्वारा किया।

ड्रोन के कृषि उपयोग हेतु तकनीक मार्गदर्शन

सिवनी : मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी), ड्रोन का उपयोग फसल इनपुट (पौधों की सुरक्षा और फसल पोषक तत्वों) के अनुप्रयोग के लिए प्रभावी बनाने के लिये किया जा रहा है। ड्रोन से छिडकाव करने से समय और श्रम की भारी बचत होती है साथ ही बहुत कम समय में बडे क्षेत्रों पर छिड़काव किया जा सकता है। यह मिट्टी को संकुचित किए बिना स्प्रे उपचार द्वारा समयबद्धता में कार्य को पूर्ण करता है। ड्रोन का उपयोग कीटों का समय पर पता लगाने, फसल स्वास्थ्य की निगरानी, लक्षित इनपुट अनुप्रयोग और फसल की उपज व फसल के नुकसान का तेजी से आकलन करने के लिए भी किया जा रहा है।

ड्रोन छिडकाव के दौरान कुछ समस्याएं भी आती हैं। तेज हवा की गति, तापमान का प्रभाव, पेड़, जलमार्ग, ओवरहेड बिजली लाइनें भी कुछ क्षेत्रों को ड्रोन के प्रयोग करने से रोकती हैं। अस्थिरता और स्प्रे बहाव ड्रोन छिड़काव से जुडी समस्याएं हैं जो गलत तरीके से छिड़काव करने पर पर्यावरण प्रदूषण का कारण बन सकती हैं। ड्रोन के असुरक्षित संचालन से ऑपरेटरों और अन्य लोगों की सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा हो सकती हैं।

मौजूदा जलवायु परिस्थितियों अनुरूप न्यूनतम फसल इनपुट से फसल उत्पादन को अधिकतम करने के लिए, आवश्यकता-आधारित, स्थान विशिष्ट प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। ड्रोन छिड़काव को लोकप्रिय बनाने के लिए इन सभी बिंदु को सम्मलित करके उपयोग मार्गदर्शिका को किसानो तक पहुंचाना अति अवाश्यक है ताकि कुछ गलतफेमीयों के कारण यह उन्नत तकनीक कुछ सिमित क्षेत्रों सिमटकर ना रह जाये।

ड्रोन की सहायता से छिड़काव से फसलों में कीट प्रबंधन हेतु कीटनाशकों/रासायनिक उपयोग के लिए सामान्य दिशा-निर्देश

1. यदि अगले दिनों में भारी बारिश का पूर्वानुमान हो तो छिड़काव न करें।
2. हरे लेबल वाले कीटनाशकों को अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
3. कीटनाशकों का उपयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए जब अन्य सभी गैर-रासायनिक प्रबंधन विकल्प समाप्त हो जाएं।
4. जब कीट सबसे कमजोर जीवन अवस्था में हों तो जैव कीटनाशकों/रासायनिक कीटनाशकों का विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करें। लेबल दावे के अनुसार आवेदन दरों और अंतरालों का उपयोग करें।
5. कीटनाशकों की तैयारी और अनुप्रयोग के दौरान सुरक्षात्मक कपडे, फेसमास्क और दस्ताने का उपयोग करें।
6. छिडकाव के 48 घंटे बाद ही खेत में प्रवेश करें।

कृषि-जलवायु अनुकूल ड्रोन के उपयोग सम्बन्धित महत्वपूर्ण बिन्दु

ड्रोन से छिडकाव करने से पहले

फसल पैरामीटर-

1. ड्रोन से छिडकाव करने से पहले फसल की अवस्था, ऊंचाई और छत्र विकास को ध्यान में रखना चाहिए।
2. बारिश की संभावना, फसल की फूल अवस्था/परागण चरण व फसल ठहरने की अधिक सभंवना की स्थिति मे ड्रोन का उपयोग करने से बचें।

फसल क्षेत्र-साइट पैरामीटर-

1. फसल खेत की स्थिति जाने की वह किस जोन के अंतर्गत आता है। रेड जोन आने पर ड्रोन का उपयोग ना करें यलो जोन आने पर स्थानीय पुलिस की उचित अनुमति प्राप्त करें।
2. जी.पी.एस कन्केटिविटी स्थिरिता पर अक्षांश व देशांतर नोट कर रिमोट कन्ट्रोल व ड्रोन के बीच सिंगनल खोने से बचने के लिये खेत को छोटे-छोटे क्षेत्रो मे बांटे व क्षेत्र के ढलान, पहाडी, विघुत लाईन व वृक्ष आदि की स्थिति जानकर छिड़काव की योजना बनाये।
3. प्राकृतिक संसाधन व दैनिक उपयोगी क्षेत्र (चारागाह, तालाब, नहर, नदी , मुर्गी घर, खलिहान, स्कूल, गांव, पंचायत आदि) से 100 मी. दूरी बनाकर ही स्प्रे करें।

मौसम/पर्यावरण की स्थिति-

1. यदि हवा की गति 8 कि.मी/घण्टें से अधिक व तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो तो ड्रोन से छिड़काव ना करें।
2. मौसम आर्द्रता 50 प्रतिशत से अधिक होने पर ही ड्रोन के माध्यम से छिडकाव करें।

ड्रोन पैरामीटर-

1. मोटर, प्रोपेलर और बैटरी हमेशा अतिरिक्त संख्या में रखे। बैटरी चार्ज न हो, प्रोपेलर ब्लेड टूटी हो या मोटर बहुत ज्यादा गर्म हो रही हो तो ड्रोन उपयोग ना करें।
2. हवा की दिशा को जांच कर ड्रोन के शुरूआती होम पांइट तय करें।
3. ड्रोन के प्रकार व पेलोड छमता को ध्यान में रखकर ड्रोन का केलिब्रेशन करें व आपरेशन के दौरान अच्छी स्थिरता सुनिश्चित करें।
4. नोजल के प्रकार, फिडर पाईप में एयरलॉक की स्थिति व सुखे नोजल मे रासयन कणं का जमाव स्थिति को जाने फिर छिड़काव की एकरूपता व ओवर लेप प्रतिशत सुनिशिचत करें।
5. नैनो ड्रोन को जमीन स्तर से 50 फिट माइक्रो ड्रोन को 200 फिट व अन्य ड्रोन को 400 फिट ऊंचाई से अधिक न उडायें।
6. नियंत्रित हवाई क्षेत्र (जहां एटीसी सेवाएं सक्रिय हैं) में संचालन के लिए डीजीसीए से विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) प्राप्त करें और इसे अपने ड्रोन पर चिपकाएं। डिजीटल स्काय पलेटफोम के माध्यम से डी. जी. सी. ए. वेबसाईट पर अनुमति प्राप्त करें।
7. केवल सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही छिडकाव करें व किसी भी घटना/दुर्घटना घटने पर सबंधित पुलिस प्रशासन को सुचित करें।

छिड़काव प्रणाली-

1. टेंक की क्षमता, पंम्प की प्रभाव दर, नोजल के बीच की दूरी, स्प्रेयर के सम्रग बूम का आकार, नोजल के डिस्चार्ज की दर, सोलेनाइड बल्ब की कार्यशीलता, होज पाईप के रिसाव व कनेक्टर की स्थिति का आंकलन कर ही ड्रोन उडाएं।
2. यदि टैंक का ढक्कन ना लगा हो, होज पाईप, नोजल, टैंक आदि में रिसाब की स्थिति हो या सोलेनाइड बाल्ब ठीक से काम ना कर रहें हो तो ड्रोन ना उडायें।

ड्रोन से छिड़काव करते समय–

ड्रोन ऑपरेशन-

1. ऑपरेशन के दौरान ड्रोन की स्थिरिता दृशयसीमा, फसल क्षेत्र की बाधाओं व छिडकाव ओवरलेप प्रतिशत जैसेबिन्दुओ को हमेशा ध्यान में रखें।
2. बैटरी डिस्चार्ज के दौरान आपातकालीन लैंडिगं की वैक्लपिक व्यवस्था हमेशा ध्यान में रखें।
3. कुशल व ड्रोन लाइसेंस धारी व्यक्ति को ही ड्रोन का संचालन करना चाहिए।

स्प्रें नियंत्रण-

1. स्प्रे कार्य समान्यतः शांत एवं धूप वाले दिनो व हवा की दिशा के अनुरूप अनुशासित रूप से किया जाना चाहिए।
2. तेज धूप की स्थिति, बारिश के ठीक पहले या बाद की स्थिति, हवा के विपरित दिशा में छिडकाव कार्य नही किया जाना चाहिए।
3. स्प्रे कार्य करते समय ऑपरेटर को हमेशा शरीर को कपडे से कवर करके रखना चाहिए।

ड्रोन संचालन व अकस्मिक दुर्घटना बचाव

1. छिडकाव कार्य के दौरान ऑपरेटर को आटोंमोड ऑपरेशन होने पर भी रिमोट कंट्रोल को हाथ में रखना चाहिए।
2. छिडकाव कार्य के दौरान ऑपरेटर को पी. पी. ई. कीट व रासायन जोखिम से बचने के लिऐ हमेशा ऑखों पर चशमे का उपयोग करना चाहिए।
3. ड्रोन के उपयोग के दौरान प्राथमिक उपचार किट हमेशा साथ रखना चाहिए।
4. ड्रोन छिडकाव के दौरान ऑपरेटर को रसायनो से बचाव के लिये हमेशा हवा की दिशा के विपरित खडे होना चाहिए।
5. ड्रोन ऑपरेटर को किसी भी अन्य व्यक्ति को उडान के दौरान टैकआफ व लैंडिगं के समय करीब नही रहने देना चाहिए।
6. दुर्घटना ग्रस्थ हो जाने की स्थिति में तुरंत स्थानीय पुलिस को सुचित करे व हादसे की फोटो को अपने पास रखे, जिससे की बीमा आवेदन प्रक्रिया जल्द से जल्द पूर्ण की जा सकें।

ड्रोन से छिडकाव करने के बाद

1. ड्रोन की बैटरी निकाले व तुरंत चार्जिगं पर लगाएं।
2. ड्रोन के तापमान व प्रोपेलर की जांच करें।
3. ड्रोन के किसी भी भागो की हुई टूट-फूट की सटिकता से जांच करें।
4. ड्रोन के टेंक को साफ करें। स्प्रे/छिडकाव के तुरंत बाद खेत में जानवर व श्रमिकों के प्रवेश को रोकें एवं फसल कटाई/निदांई, सिचांई जैसे कार्य ना करें।

ड्रोन आपरेटर

1. छिडकाव समाप्ति के उपरांत हाथ और चेहरे को पानी व साबुन की सहायता से साफ करें।
2. शरीर में जहर जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत प्राथमिक उपचार लेने के बाद डॉक्टर से संपर्क करें।
3. धुम्रपान व नशे की हालत में स्प्रे कार्य ना करें।

राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा केन्द्र नई दिल्ली एवं जिला सहकारी संघ रतलाम के तत्वावधान में प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के कर्मचारियों हेतु तीन दिवसीय प्रशिक्षण सत्र का आयोजन

रतलाम। प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था सैलाना, सरवन, शिवगढ़, बेड़दा, गराड, कांगसी के कर्मचारियों हेतु दिनांक 14 से 16 फरवरी 2024 तक सैलाना में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिले के उपायुक्त सहकारिता सुनील कुमार सिंह ने इस अवसर पर कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार का विजन है "सहकार से समृद्धि" इसके अन्तर्गत पैक्स अब बहुउद्देशीय हो गई है, संस्थाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए जन औषधी केन्द्र, पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी एवं नल-जल योजना अब सहकारी संस्थाओं के माध्यम से संचालित की जा सकेगी। श्री सिंह ने कहा कि कर्मचारियों को संस्था के विकास का भाव रखकर कार्य करना चाहिये। सहकारिता में सहकारी विधान सर्वोपरी है, यहाँ कोई शीर्ष पर नहीं है, सबकी अपनी-अपनी भूमिका है। कर्मचारियों को प्रशिक्षण को व्यवहारिक रुप में समझना चाहिए ताकि उससे आपकी क्षमता का विकास हो सके जिसका लाभ सहकारी संस्था को मिल सके।

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र इन्दौर के पूर्व प्राचार्य के. एल. राठौर ने सहकारी अधिनियम एवं उपनियम के अनुसार बैठकों के आयोजन उनकी विषय वस्तु अवधि इत्यादि से संबंधित विस्तार से प्रशिक्षण दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र इन्दौर के ही पूर्व प्राचार्य निरंजन कुमार कसारा ने कहा कि सहकारी साख आन्दोलन की शुरुआत भारत में 1904 से हुई तब से अब तक 95 हजार साख संस्थाएँ चल रही है, जिसमें 65 हजार सक्रिय रुप से कार्य कर रही है। सरकार का लक्ष्य तीन लाख संस्थाएँ बनाने का है।

कार्यक्रम के प्रारंभ में स्वागत भाषण देते हुए जिला सहकारी संघ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनिरुद्ध शर्मा ने कहा कि शिक्षा प्रशिक्षण से कर्मचारियों के कार्य में गुणवत्ता आती है तथा इससे संस्थाओं की कार्यप्रणाली में सुधार होता है एवं सहकारी आन्दोलन प्रगति करता है। सर्वप्रथम कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया। श्री कसारा द्वारा सरस्वती वंदना का गायन किया गया। पश्चात अतिथियों का पुष्पमालाओं से स्वागत बैंक शाखा सैलाना के शाखा प्रबंधक प्रेमसिंह रावत, निर्मल रावरिया, दिनेश कसेरा, पंकज बैरागी, प्रदीप शर्मा, विजयसिंह, विजय गवली, महेश परमार, उमाशंकर भट्ट, दिलीपसिंह राठौर, राजबहादुरसिंह एवं उपस्थित कर्मचारियों ने किया। कार्यक्रम का संचालन जिला सहकारी संघ के जनसंपर्क अधिकारी पिंकेश भट्ट ने किया। आभार प्रदर्शन जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक सैलाना के शाखा प्रबंधक प्रेमसिंह रावत ने किया।

(पृष्ठ 1 का शेष)

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में सहकारी क्षेत्र .....

उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद से पिछले 35 महीनों में मंत्रालय ने 54 से ज्यादा इनीशिएटिव लिए हैं। PACS से लेकर एपेक्स तक सहकारिता क्षेत्र हर आयाम में नयी शुरुआत करके नए जोश के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र को लगभग सवा सौ साल के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के फैसले से नया जीवन मिला है और विश्वास है कि अगले सवा सौ साल तक सहकारिता आंदोलन इस देश की सेवा करता रहेगा।

श्री अमित शाह ने कहा कि आज से 18,000 से ज्यादा PACS का पूर्ण कंप्यूटराइजेशन हो रहा है। इसका ट्रायल रन हो चुका है, लीगेसी डेटा को भी कंप्यूटराइज कर दिया गया है और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा उद्घाटन करने के साथ ही हर ट्रांजैक्शन कंप्यूटर से शुरू हो जाएगा।

गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि 29 जून 2022 को जब 18,000 PACS के कंप्यूटराइजेशन का प्रस्ताव केन्द्रीय कैबिनेट में आया था, उस वक्त प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने आशा व्यक्त की थी कि कठिन होने के बावजूद इस परियोजना को जल्द लागू कर दिया जाएगा। श्री शाह ने कहा कि बहुत कम समय में 65,000 में से 18,000 PACS में कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है एवं चुनाव से पहले 30,000 और PACS में इसे क्रियान्वित कर लोगों को समर्पित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि PACS का कंप्यूटराइजेशन न केवल पारदर्शिता लाएगा और उन्हें आधुनिक बनाएगा बल्कि साथ ही बिजनेस के अनेक मौके भी पैदा करेगा।

श्री अमित शाह ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय ने PACS के लिए नए बायलॉज बनाए हैं और देशभर की राज्य सरकारों ने अपनी-अपनी पार्टियों से परे उठकर इन बायलॉज को राज्य सूची का विषय होने के बाद भी स्वीकार कर लागू किया है। उन्होंने कहा कि बायलॉज लागू होते ही प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS) 20 प्रकार के नए काम कर पाएंगी। अब PACS डेयरी का भी काम कर पाएंगे, नीली क्रांति से भी जुड़ पाएंगे, जल जीवन मिशन के तहत जल प्रबंधन का काम भी करेंगे, भंडारण की क्षमता बढ़ाने में भी योगदान देंगे, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) का काम भी करेंगे, सस्ती दवाइयों और अनाज की दुकानें भी खोल सकेंगे और पेट्रोल पंप भी चला पाएंगे। श्री शाह ने कहा कि नए बायलॉज के जरिए PACS को ढेर सारे कामों से जोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ और अब उनके कंप्यूटराइजेशन से सभी कार्यों के अकाउंट को एक ही सॉफ्टवेयर में समाहित कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह सॉफ्टवेयर देश की हर भाषा में किसान से बात कर सकता है।

गृह एवं सहकारिता मंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने PACS का कंप्यूटरीकरण कर उन्हें मजबूत करने के लिए 2500 करोडरुपए खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि अगस्त 2024 तक इस देश के सभी PACS कंप्यूटराइज होकर सॉफ्टवेयर से कनेक्ट हो जाएंगे।

श्री अमित शाह ने कहा कि आज विश्व की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव अन्न भंडारण योजना की भी शुरुआत हो रही है। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय से जब इसका प्रारूप गया तो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने स्वयं छह बार इस बारे में हमारे साथ चर्चा की, दो बार प्रेजेंटेशन देखकर सुझाव दिए और एक संपूर्ण योजना बनाकर देश के किसानों को समर्पित की।

इसे लागू करने से पहले प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट बैठक में सहकारिता मंत्रालय का मार्गदर्शन किया कि यह योजना एक नई पहल है और कई मंत्रालयों को समाहित कर आगे बढ़ने वाली है, इसलिए पहले इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जाए। फिर कमियों को पहचान कर उन्हें दूर किया जाए और अंत में इसे बड़े स्तर पर नीचे तक लागू किया जाए।

गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की कल्पना के अनुरूप हमने 11 PACS में पायलट प्रोजेक्ट पूरा किया और 11 गोदामों का उद्घाटन हो रहा है। उन्होंने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के दौरान गठित मंत्री-समूह ने सामने आई कमियों को देख कर योजना को थोड़ा रिवाइज किया और आज 500 PACS के गोदामों का भूमि पूजन हो रहा है। उन्होंने कहा कि एक प्रकार से 511 गोदामों का काम आज से शुरू होगा।

श्री अमित शाह ने कहा कि हमारे देश में अन्न उत्पादन के परिपेक्ष्य में भण्डारण क्षमता केवल 47 प्रतिशत है, जबकि अमेरिका में यह 161 प्रतिशत, ब्राजील में 149 प्रतिशत, कनाडा में 130 प्रतिशत और चीन में 107 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में उत्पादन की तुलना में भण्डारण क्षमता ज्यादा है। पर्याप्त भण्डारण क्षमता होने से जब दाम नीचे जाता है तो किसान भण्डारण क्षमता का उपयोग कर अपनी उपज स्टोर कर सकता है और सुचारू रूप से उसे अच्छा भाव मिल सकता है। भारत में यह सुविधा पहले उपलब्ध नहीं थी। फूड कॉरपोरेशन आफ इंडिया को ही यह सारा भार निर्वहन करना पड़ता था। श्री शाह ने कहा कि अब हजारों PACS भण्डारण क्षमता का विस्तार करेंगे। हमारा देश 2027 के पहले शत प्रतिशत भंडारण क्षमता प्राप्त कर लेगाऔर यह क्षमता सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से हासिल होगी।

गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की दूरदर्शिता और मार्गदर्शन के कारण यह योजना पूरी तरह से साइंटिफिक और सबसे मॉडर्न बनाई गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत बनाए गए गोदाम छोटे होंगे, लेकिन इसमें रैक भी होंगे, कंप्यूटराइज्ड व्यवस्था भी होगी और इसके साथ-साथ आधुनिक खेती के सभी साधन होंगे। श्री शाह ने कहा कि PACS से लिंक्ड इन गोदामों में ड्रोन भी होगा, ट्रैक्टर भी होंगे, कटाई और दवाई के छिड़काव की मशीन भी होगी। यह सारे उपकरण किसानों को किराए पर उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि इससे PACS और किसानों का रिश्ता मजबूत होगा, PACS वायेबल बनेंगे और आने वाले दिनों में हमारी खेती भी आधुनिक होगी।

(पृष्ठ 1 का शेष)

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सहकारी क्षेत्र ....

सहकारिता को प्रासांगिक रखने के लिये आधुनिक बनना होगा-केंद्रीय मंत्री श्री शाह

केंद्रीय मंत्री श्री शाह ने प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र में हुए सकारात्मक परिवर्तन के लिये उनकी सराहना की। उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग को अलग से बनाए जाने की मांग को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि सहकारिता को प्रासांगिक रखना होगा, आधुनिक भी बनाना होगा और इसमें पार्दर्शिता भी लानी होगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में 70 वर्ष पुरानी इस मांग को पूरा करते हुए सहकारिता विभाग की स्थापना हुई।

प्रधानमंत्री श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सशक्त सहकारिता से आयेगी समृद्धि- मंत्री श्री सारंग

मंत्री श्री सारंग ने प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा सहकारिता क्षेत्र के लिये प्रमुख पहलों के उद्घाटन व शिलान्यास को लेकर उनका आभार व्यक्त किया है। श्री सारंग ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सहकारी आंदोलन सशक्त हुआ है, जिससे देश अब समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी एवं केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री शाह के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश में 'सहकार से समृद्धि' विज़न को दृष्टिगत रखते हुए सहकारिता में नवाचार को लेकर विभिन्न प्रकल्पों पर कार्य किया जा रहा है।

सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन से संबंधित प्रशिक्षण का आयोजन

भोपाल। श्री एम. बी. ओझा, निर्वाचन प्राधिकारी, म.प्र. राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण भोपाल एवं आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐं मध्यप्रदेश के निर्देश के परिपालन में श्री ऋतुराज रंजन, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ के मार्गदर्शन में सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन संबंधी एक-एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 20, 21 एवं 22 फरवरी 2024 तक कुल 03 प्रशिक्षण कार्यक्रम सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल में सफलतापूर्वक आयोजित किये गयें। जिसमें लगभग 121 सहकारिता विभाग के उप अंकेक्षक, सहकारी निरीक्षक, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षकों को प्रशिक्षित किया गया।

श्री एम.बी. ओझा, निर्वाचन प्राधिकारी, म.प्र. राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण भोपाल ने बताया की शासन की मंशानुसार सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन कराये जाने हेतु सहकारिता विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समुचित निर्वाचन प्रस्ताव एवं परीक्षण, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं निर्वाचन

अधिकारी के कर्तव्य निर्वहन के संबंध में सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 एवं नियम 1962 के प्रावधान एवं प्रक्रिया, चुनाव चिन्ह आवंटन, मतदान मतगणना की प्रक्रियश एवं उनका संचालन तथा रिटर्निंग अधिकारी की डायरी, निर्वाचन संचालन में व्यवहारिक कठिनाईयों पर परिचर्चा एवं शंका समाधान प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

प्रशिक्षण पर जानकारी देते हुए श्री संजय कुमार सिंह, महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्या० भोपाल द्वारा बताया गया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ के रूप में श्री उमेश कुमार तिवारी, सचिव, म.प्र. राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण भोपाल, श्री श्रीकुमार जोशी, सेवा निवृत्त, संयुक्त आयुक्त सहकारिता, श्री अविनाश सिंह, से.नि.व. सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन श्री संतोष येडे राज्य समन्वयक द्वारा किया गया एवं श्री जी.पी. मांझी प्राचार्य सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल, श्री अरूण कुमार जोशी, से.नि.प्राचार्य, श्री धनराज सैंदाणे, श्री प्रवीण कुशवाहा, श्री विक्रम मुजुमदार, श्री ज्ञानू सिंह, श्री विनोद कुशवाह, मो. शाहिद खांन का विशेष सहयोग रहा।

वृहद हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (सी.एच.सी.डी.एस) अंतर्गत एक दिवसीय कार्यशाला सम्पन्न

भोपाल। विकास आयुक्त हस्तशिल्प, वस्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित एवं मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्या. द्वारा आयोजित एक दिवसीय सेमीनार/ कार्यशाला दिनांक 23 फरवरी 2024 को प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी संघ के मार्गदर्शन में सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल में आयोजित किया गया। इस अवसर पर कार्यालय विकास आयुक्त भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय के सहायक निदेशक श्री अर्चित सहारे, श्री संतोष येड़े, राज्य समन्वयक, डा. सृष्टि उमेकर, संचालक, शरण वेलफेयर फाउन्डेशन, श्रीमती रेखा पिप्पल, व्याख्याता, श्रीमती मीनाक्षी बान, सीएचसीडी प्रभारी, राज्य सहकारी संघ, श्री मनीष राजपूत, डायरेक्टर, सीड एवं श्री धर्मेन्द्र राजपूत, सचिव, सीड़, उपस्थित रहे।

इस कार्यशाला में लगभग 50 महिला प्रतिभागियों ने भाग लिया। श्री अर्चित सहारे द्वारा विकास आयुक्त हस्तशिल्प, वस्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली की सीएचसीडीएस योजना की विस्तृत जानकारी जैसे गुरू शिष्य प्रशिक्षण कार्यक्रम, डिजाईन एवं तकनीकी विकास कार्यक्रम, उद्यमिता विकास कार्यक्रम, मेले, सीएफसी सेंटर, एम्पोरिया, गांधी शिल्प बाजार, ब्रांडिंग इत्यादि पर जानकारी प्रदान की गई। श्री संतोष येड़े, राज्य समन्वयक द्वारा उद्यमिता विकास, सहकारिता, सफल उद्यमी के गुण, व्यवसाय प्रबंधन, शासन की जन कल्याणकारी योजनायें, डा. सृष्टि उमेकर द्वारा मार्केटिंग, माईक्रो फाईनेंस, खुदरा बाजार, जीएसटी इत्यादि पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

महिला सहकारी संस्थाओं हेतु नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

भोपाल। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल के संयुक्त तत्त्वधान मे महिला सहकरी संस्थाओ के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सदस्यों हेतु 3 दिवसीय "नेतृत्व विकास" प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 13 से 15 फरवरी 2024 तक आयोजित किया गया। जिसमें कुल 34 महिला प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उदघाटन इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम के अध्यक्ष श्री शैतान सिंह पाल (कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त) एवं सहकार भारती के संगठन महामंत्री श्री राधेश्याम जल क्षत्रीय द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया । प्रशिक्षण कार्यक्रम के अवसर पर संघ के प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन एवं श्री संजय सिंह, महाप्रबंधक उपस्थित रहे।

प्रशिक्षण मे श्री श्रीकुमार जोशी सेवा निवृत्त संयुक्त आयुक्त सहकारिता द्वारा सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 एवं नियम 1962 पर जानकारी प्रदान की गई। श्री अभय गोखले सेवा निवृत प्रबंधक अपैक्स बैंक द्वारा सहकारी समितियों के लेखांकन की जानकारी , श्रीमति सृष्ठी उमेकर द्वारा नेतृत्व विकास पर विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

प्रशिक्षण के द्वितीय दिवस श्रीमती दिव्या अग्निहोत्री प्रबंधक, श्री विशाल बिरादर एवं नीरज कुमार सहायक प्रबंधक बैंकिंग विभाग भारतीय रिजर्व बैंक भोपाल द्वारा इलेक्ट्रानिक बैंकिंग जागरूकता पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। सायबर क्राईम पर श्रीमती मीनाक्षी बान, कम्प्यूटर व्याख्याता द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। श्री अभिमन्यू कटियार, डिजाइनर एवं श्रीमती नीतू यादव, स्टेट अवार्डी, जूट क्राफट के द्वारा जूट से संबंधित उत्पाद एवं

नवीन डिजाईन पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के तृतीय दिवस अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम के तहत सुविधा साख सहकारी संस्था, भोपाल का भ्रमण कराया गया जिसमे सुविधा साख सहकारी संस्था भोपाल के अध्यक्ष श्री हेमलाल साहू जी ने महिलाओ को क्रेडिट साख सहकारी संस्था से सम्बंधित जानकारी से अवगत कराया गया एवं प्रतिभागियों के शंका का समाधान किया गया। समापन अवसर पर सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किये गये। प्रमाण पत्रों का वितरण सहकार भारती के संगठन मंत्री श्री राधेश्याम जल क्षत्रीय, श्री संजय सिंह, महाप्रबंधक, म.प्र. राज्य सहकारी संघ भोपाल, श्रीमती आशा सैंगर प्रतिनिधि महिला सशक्तिकरण सेल राष्ट्रीय सहकारी संघ नई दिल्ली, के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती श्रद्धा श्रीवास्तव, जिला सहकारी शिक्षा प्रशिक्षक के द्वारा किया गया। श्रीमती रेखा पिप्पल, लेखाधिकारी, श्री गणेश प्रसाद मांझी, प्राचार्य, श्री ए.के. जोशी, से.नि. प्राचार्य, श्री धनराज सैंदाणे का विशेष सहयोग रहा।

जिला सहकारी बैंक के शाखा प्रबंधकों हेतु बी-पैक्स के मॉडल बायलॉज एवं मध्यप्रदेश की सहकारी नीति 2023 पर प्रशिक्षण आयोजित

भोपाल। प्रमुख सचिव, सहकारिता मध्यप्रदेश शासन एवं आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐं मध्यप्रदेश के निर्देश के परिपालन में मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ में मध्यप्रदेश की सहकारी नीति 2023 एवं बी-पैक्स के मॉडल बायलॉज के प्रावधान व उनके समुचित क्रियान्वयन हेतु दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 14/02/2024 से 15/02/2024, 19/02/24 से 20/02/24 एवं 21/02/24 से 22/02/24, तक कुल 03 प्रशिक्षण कार्यक्रम सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल में सफलतापूर्वक आयोजित किये गयें। जिसमें जिला सहकारी बैंक के लगभग 70 शाखा प्रबंधकों को प्रशिक्षित किया गया । प्रशिक्षण पर जानकारी देते हुए श्री संजय कुमार सिंह, महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्या० भोपाल द्वारा बताया गया कि सहकार से समृद्धि की दिशा में सहकारिता विभाग म.प्र. के सहकारी क्षेत्र से जुड़े जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के शाखा प्रबंधक को निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से सहकारिता नीति एवं बी-पैक्स बॉयलाज पर विस्तृत जानकारी प्रदान की जा रही है। जिसमें श्री अरूण कुमार मिश्रा, संयुक्त आयुक्त सहकारिता द्वारा बी- पैक्स के नवीन बायलाज अनुसार बी - पैक्स की प्रमुख गतिविधियां एवं क्रियान्वयन हेतु महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश, श्री अभय गोखले, से. नि. प्रबंधक, अपेक्स बैंक भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी नीति 2023 क्या है, इसकी आवश्यकता, विजन, मिशन एवं उददेश्य व सहकारी नीति के प्रमुख प्रावधान, विषय विशेषज्ञ श्री श्रीकुमार जोशी, सेवा निवृत्त, संयुक्त आयुक्त सहकारिता बी - पैक्स की उपविधि, सहकारी अधिनियम व नियम के प्रावधान सहकारी नीति के संदर्भ में, एवं मध्यप्रदेश की सहकारी नीति 2023 क्रियान्वयन हेतु, एक्शन प्लान का क्रियान्वयन, सहकारिता के विशिष्ठ सेक्टर जैसे - कृषि साख, स्वॉट एनालिसिस, बीज उत्पादन, डेयरी, मत्स्य एवं लघु वनोपज एवं किसान उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.), श्री अरविंद सिंह सेंगर, सेवा निवृत्त, संयुक्त आयुक्त सहकारिता द्वारा बी- पैक्स नवीन बायलॉज की आवश्यकता व उद्देश्य एवं सेवाऐं, श्री अविनाश सिंह, से.नि. व.सहकारी निरीक्षक द्वारा बी पैक्स के नवीन बॉयलाज को प्रभावशील किया जाना, श्री अशोक शर्मा से.नि. क्वालिटी कंट्रोलर, म.प्र. वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन भोपाल, द्वारा वृहद भण्डारण योजना को बी - पैक्स में लागू करना, श्री अतुल श्रीवास्तव, साईबर विशेषज्ञ, राज्य साईबर पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा साईबर अपराध पर श्री जी.पी. मांझी प्राचार्य सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल एवं श्री संतोष येडे राज्य समन्वयक द्वारा श्री सेवड़ी सेवा सहकारी मण्डली सूरत गुजरात मल्टी सर्विस सेंटर (PACS as MSC) के रूप में कार्य कर रहें गतिविधियों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम सत्र में प्रबंध संचालक एवं महाप्रबंधक राज्य संघ द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी नीति 2023 के प्रमुख प्रावधान पर प्रतिभागियों से खुली चर्चा कर एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का फीडबैक लिया गया ।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन श्री जी. पी. मांझी प्राचार्य सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल एवं श्री अरूण कुमार जोशी, से.नि.प्राचार्य, द्वारा किया गया। श्री संतोष येडे राज्य समन्वयक, श्री धनराज सैंदाणे, श्री प्रवीण कुशवाहा, श्री विक्रम मुजुमदार, श्री ज्ञानू सिंह, श्री विनोद कुशवाह, मो. शाहिद खांन का विशेष सहयोग रहा।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।